



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/DEV-6740/MH/710/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 06.04.2026

सेवा में,

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-रायगढ़,
कलेक्टर कार्यालय,
हिराकोट झील के पास, अलीबाग,
रायगढ़-402201, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.raigad@maharashtra.gov.in

विषय: 30-40 वर्षों से वन भूमि पर निवास कर रहे आदिवासी परिवारों को मालिकाना हक प्रदान किए जाने के संबंध श्री दत्तात्रेय श्रावण नाईक, मुक्काम-श्रीगांव, पोस्ट-कामार्ले, तालुका-अलीबाग, जिला-रायगड, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 15.12.2025 का अभ्यावेदन।


संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.01.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

यूनि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्षी, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्षा-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 20.04.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को वाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री दत्तात्रेय श्रावण नाईक,
मुक्काम-श्रीगांव, पोस्ट-कामार्ले,
तालुका-अलीबाग, जिला-रायगड, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।